डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास मूल चन्द आर0ए0एस0

अपील संख्या 2018/00277 (159/2018) 223 आरटीएक्ट

1. जितेन्द सिंह } पिसरान राजपालसिंह जाति जटसिख भुल्लर निवासी 31
2. भूपेन्द्र सिह } एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ। --अपीलाण्ट

बनाम

1. सुखबलविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 31 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ। --वादीया/रेस्पोडेण्ट
2. गुरमेल कौर पत्नी स्व0 गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 31 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ --प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट
4. समिन्द्र कौर पुत्री राजपाल सिंह पत्नी हरभजनसिंह निवासी बरगाड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ। --तरतीबी रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.10.2014 व 30.10.2014 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 312/2014 बअनवानी सुखबलविन्द्र कौर बनाम राजपालसिंह आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विनोद पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री सुभाष चन्द्र भारद्वाज अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट , श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 7 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ की पत्रावली सं0 312/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2014 व डिक्री दिनांक 30.10.2014 खारिज किये जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29.07.2019 को जारी की गई।

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00277 (159/2018) 223 आरटीएक्ट

1. जितेन्द सिह
2. भूपेन्द्र सिह
} पिसरान राजपालसिंह जाति जटसिख भुल्लर निवासी 31 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. सुखबलविन्द्र कौर पुत्री श्री गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी 31 एसएसडबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ। –वादीया/रेस्पोंडेण्ट
2. गुरमेल कौर पत्नी स्व0 गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 31 एसएसडबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ –प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट
4. समिन्द्र कौर पुत्री राजपाल सिंह पत्नी हरभजनसिंह निवासी बरगाड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ। –तरतीबी रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.10.2014 व 30.10.2014 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 312/2014 बअनवानी सुखबलविन्द्र कौर बनाम राजपालसिंह आदि

श्री विनोद पारिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री सुभाष चन्द्र भारद्वाज अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः– 29.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद उद्घोषणा का प्रस्तुत कर चक 31 एसएसडबल्यू में खाता संख्या 90/86 की 2.530 है0, व मु. नं. 50 की 3.162 है., पत्थर नं. 97/308 (53) की 1.898 है. कुल 7.590 है. कृषि भूमि में वादीया 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहा जो अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलाधीन निर्णय से दावा वादीया स्वीकार कर डिक्री किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का आपस में दिनांक 01.07.2019 को राजीनामा हो चुका है। राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर तस्दीक हो चुका है। मुताबिक राजीनामा दोनों पक्षकारान

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2014 व डिक्री दिनांक 30.10.2014 को निरस्त करवाने मे पूर्णतय सहमत हैं तथा राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व की स्थिति दर्ज करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपील में बहस कर कथन किया कि अपील प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.07.2019 के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रान हैं इसलिए वे एक प्रभावित पक्षकार है। अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. अपील अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए उसे अपीलधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होना स्वाभविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से दावा वादीया रेस्पोडेण्ट संख्या0 1 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादीया को 2/3 हिस्सा की खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी नं. 1 का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 पुत्रान अपीलार्थी ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है जिसमें अपीलाण्ट का यह कहना है कि वादीया द्वारा अपने पिता से प्राप्त कृषि भूमि को पूर्व में ही रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित व पंजिकृत करा दिया था। वादीया और प्रतिवादीया के मध्य कभी भी घरेलू बंटवारा नहीं हुआ था न ही प्रश्गनत भूमि मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 2/3 हक हिस्सा को वादीया को कभी प्राप्त हुआ। अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 5 को उनके पैतृक हक व हिस्सा से महरूम करने की गरज से मिथ्या कथनों पर वादपत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से प्रस्तुत करवाकर मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तबरदारी दिनांक 3.12.2000 प्रस्तुत हुई है इस दस्तबरदारी को प्रभावहीन एवं अवैध घोषित करवाये जाने संबंधि कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वैसे भी मौजूदा अपील प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2014 व डिक्री दिनांक 30.10.2014 को निरस्त करवाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा अनुसार खारिज करवाना चाहते है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

पत्रावली सं0 312/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2014 व डिक्री दिनांक 30 10.2014 खारिज किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णिय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(मूल चन्द आरएएस) 29/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official